



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/10/2017/एफ.सी./639

दिनांक: 24.11.2017

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
वन अनुभाग, 6वां तल,  
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/21110/2016

विषय: बदायूँ में चन्दौसी-बदायूँ मार्ग एस.एच0 43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या-210 में एस्सार ऑयल कंपनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.06776 हे0) संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2040/14-2-2017-800 (198)/2016, दिनांक- 23.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-200/14-2-2016-800 (198)/2016, दिनांक- 20.01.2017 आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 28.06.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी टोपोशीट मूल प्रति में नही प्रस्तुत की गयी है। अतः टोपोशीट मूल प्रति में उपलब्ध करायी जाए तदोपरान्त ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा-201301
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1463/बदायूँ/21110/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 27, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट की मूल प्रति में चिन्हित कर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नाम, दिनांक व सील सहित इस कार्यालय को तीन प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।